(58)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2018 जिला–दतिया

निगरानी– 5070/2018/दतिया/भू.रा.

1– बैकुण्ठी पत्नी राजेन्द्र सिंह कुशवाह
निवासी – डिरोलीपार तहसील हाल निवास कुदारी तहसील सेवढा जिला – दतिया (म.प्र.)

2– तेजा पत्नी मोहनलाल कुशवाह
निवासी – ग्राम सुजापुरा

3– कमला पत्नी छुट्टा कुशवाह
निवासी – लोटनपुरा

4– सावित्री पत्नी रामसिया कुशवाह
निवासी – लोटनपुरा तहसील सेवढा जिला – दतिया म.प्र.

...... आवेदकगण

विरूद्ध

1– मनोज कुमार पुत्र श्री रामचरण कुशावाह
निवासी – ग्राम कुदारी तहसील सेवढा जिला – दतिया (म.प्र.)

2– मोतीलाल जाटव तहसीलदार तहसील इन्दरगढ़ जिला – दतिया म.प्र.

...... अनावेदकगण

श्री ... द्वारा आज दि. 20.8.18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 30.8.18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट 20.8.18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

20/8/18

<u>न्यायालय नायब तहसीलदार तहसील इन्दरगढ जिला दतिया द्वारा प्रकरण क्रमांक 16/अ6अ/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 06.07.2018 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।</u>

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारो पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

<u>मामले के संक्षिप्त तथ्य :</u>

1. यहकि, तहसील न्यायालय सेवढा के समक्ष विचाराधीन प्रकरण क्रमांक 10/अ–6/91–92 में पारित आदेश दिनांक 07.10.1993 द्वारा ग्राम कुदारी की भूमि सर्वे क्रमांक कुल किता 10 रकवा 12.0 एकड़ के भाग 1/3 पर मृतक मल्थू के स्थान पर अनावेदक मनोज व मानसिंह का नामान्तरण किया गया।
2. यहकि, तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध महिला भूति द्वारा अनुविभागीय अधिकारी सेवढा के समक्ष अपील प्रकरण क्रमांक 15/1993–94 में पारित आदेश दिनांक 28.12.1995 स निरस्त कर दी गयी।
3. यहकि, अनुविभागीय अधिकारी सेवढा के आदेश के विरूद्ध महिला भूति पत्नी मल्थू कुशवाह द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के समक्ष

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-5070/2018/दतिया/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
02/04/2019	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी नायब तहसीलदार के अंतिम आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत नायब तहसीलदार द्वारा पारित अंतिम आदेश के विरुद्ध सुनवाई अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 20.06.2019 को अनुविभागीय अधिकारी इन्दरगढ़ व जिला दतिया के समक्ष उपस्थित हों। सदस्य **अनुविभागीय अधिकारी इंदरगढ़**	